© 2018 IJSRSET | Volume 4 | Issue 7 | Print ISSN: 2395-1990 | Online ISSN : 2394-4099
Themed Section : Engineering and Technology

महिला अधिकारों के विपरीत तीन तलाक

पूजा सिंह
शोध छात्रा राजनीति विज्ञान विभाग
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय

सार :–

सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद तीन तलाक पर बहस छिड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को अवैध धोषित किया है। तीन तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने महिला अधिकारों के खिलाफ बताया है। तीन तलाक से लैगिंक असमानता में वृद्धि होती है। इस शोधपत्र मे तीन तलाक का विश्लेषणात्मक अध्ययन करते हुये बताया गया है कि तीन तलाक क्या है? तीन तलाक कैसे नारी सशक्तिकरण से जुड़ा है। तीन तलाक जैसी कुप्रथा को हटाकर मुस्लिम समाज शेष समाज को एक सीख प्रदान कर सकती है कि इस्लाम एक गतिशील धर्म है व लैंगिक भेदभाव के विरूद्ध है। तीन तलाक जैसी कुप्रथा से महिलाये ही नही बल्कि बच्चे व पूरा समाज भी प्रभावित होता हैं।

भूमिका :–

आजकल अखबारों, टेलीविजन जैसी कई जगहों पर तीन तलाक पर चर्चा हो रही है। तीन तलाक पर चर्चा होने का कारण है – सुप्रीम कोर्ट द्वारा तीन तलाक को अवैध घोषित कर देना। तीन तलाक जिसको 'तलाक–ए–बिद्दत' कहा जाता है यह मुसलमानों में एक प्रथा है जो भारत में अभी भी चल रही है। इस तलाक में केवल तलाक शब्द का तीन बार प्रयोग कर देने से ही शादी का समझौता रद्द हो जाता है। मुसलमानों में इस प्रथा का इतना दुरूपयोग हुआ कि यह प्रथा धीरे–धीरे एक कुप्रथा बन गयी जिससे अशिक्षित व विकसित और विकासशील समाज से पीछे रह गये मुस्लिम महिलाओं का अत्यन्त शोषण होने लगा। आज भारतीय समाज में इस तलाक की स्थिति यह है कि अधिकतर मुस्लिम महिलायें इस कुप्रथा को समाप्त करना चाहती है। इसी चाहत में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुँचा जहाँ यह पाँच जजो के संविधान पीठ में गया और पीठ ने निर्णय दिया कि एक बार में तीन तलाक गैर कानूनी है। संविधान की इस पीठ के तीन जजों ने कहा कि एक बार में तीन तलाक न केवल इस्लाम विरोध हैं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 के अन्तर्गत गैरकानूनी है। अन्य दो जजों ने कहा कि तीन तलाक गैर कानूनी तो है लोकिन सरकार को चाहिए कि वह इसके लिये छह माह में कानून बनाये। तीन तलाक के इस अहम फैसले का असर क्या होगा यह तो आने वाला समय बतायेगा पर इसके कुछ प्रभावों को हम इस शोधपत्र के निष्कर्ष में जानेंगें। तीन तलाक के आये इस फैसले ने भारतीय महिलाओं के अपने हक की लड़ाई जारी रखने को और प्रोत्साहन देती है। तीन तलाक का मुद्दा महिलाओं से जुड़ा है अतः हमें महिलाओं के अधिकारों की चर्चा भी कर लेनी चाहिए कि महिला अधिकार क्या है? और इनकी माँग क्यों की जा रही है। महिला अधिकार की माँग वहाँ से शुरू होती है जब हमने समाज में व्याप्त दो वर्गो में से एक वर्ग को दबाना और वर्ग को श्रेष्ठ घोषित करने की प्रक्रिया शुरू की। यही नीचे करने की भावना को जब दूसरे वर्गो ने समझा तो उन्होनें अपने हक की लडाई अथवा मांग समाज के समक्ष रखी। पश्चिमी देशों की महिलाओं ने एकजुट होकर सबसे पहले अपने अधिकारों की माँग शुरू की। बाद में यह माँग शेष दुनिया में भी होने लगी। भारत में तो महिलाये ज्यादातर घर के अन्दर के कार्यो की जरूरत थी। बाहर की दुनिया को उनको देखने की मनाही थी हालांकि वे घर की मालकिन तो होती थी पर घर में महिलाओं का शोषण महिलायें ही करती थी। अतः जब यह मांग शुरू हुई

तब इस आधे वर्ग की माँग को स्वीकारना दूसरे वर्ग की मजबूरी व जरूरत दोनों हो गयी। तीन तलाक तो एक समुदाय के आधे वर्ग को प्रभावित कर रहा है इसीलिये यह फैसला तो बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तीन तलाक पर आये सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय का असर कहाँ व क्या होगा इसे जानने से पहले हमें तीन तलाक के प्रथा को समझना अत्यन्त जरूरी है। मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार सम्बन्ध विच्छेद के दो तरीके होते है। पहला है – तलाक व दूसरा हे– खुला।

पहले में अर्थात तलाक में एक 'पुरूष' तीन बार तलाक कह देता है तो शादी का समझौता रद्द माना जाता है। जबकि दूसरे अर्थात खुला में सम्बन्ध विच्छेद महिला और पुरूष दोनों की सहमति से होता है और महिलाओं को अधिकार होता है कि वे तलाक लेलें पर इसमें भी पति को ही तलाक देना होता है महिला खुद तलाक नही दे सकती। दूसरी प्रथा वहाँ ज्यादा प्रचलित है। जहाँ पर इस्लाम में रूढ़िवादित नही है जैसे– तुर्की, लेबनान। सुप्रीम कोर्ट व मुस्लिम महिलाओं की नजर में मुख्य मुद्दा 'तलाक' का है। तीन तलाक शब्द शादी के समझौते को रद्द करने की प्रक्रिया को सम्बोधित करता है। इस्लाम में शादी एक समझौता माना जाता है और तलाक इस समझौते को रद्द करने की प्रक्रिया। इस्लाम में तलाक के तीन तरीके प्रचलित हैं। प्रथम है 'तलाक–ए–अहसन'। इस तलाक को इस्लाम में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसमें पति अपने पत्नी को तलाक तब देता जब उसका मासिक धर्म (तूहरा) न चल रहा हो। इसके बाद करीब तीन महीने तक के काल में (इद्दत में) वह तलाक वापस भी ले सकता है। यदि ऐसा नही किया जाता है तो तलाक को प्रभावी मान लिया जाता है लेकिन इसके बाद भी यदि पति–पत्नी चाहे तो भविष्य में शादी कर सकते है और पत्नी को हलाला की प्रक्रिया से नही गुजरना पड़ेगा। इसी कारण से इसकों 'अहसन' अर्थात सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दूसरा है 'तलाक–ए–हसन'। इसमें भी अहसन वाले की तरह ही प्रक्रिया है बस इद्दत की अवधि में तीन बार अलग–अलग समय पर तलाक कहा जाता है। इसमें तीसरी बार तलाक कहने पर तलाक हो जाता है। इसमें भी इद्दत की समयावधि खत्म होने से पहले तलाक वापस ले सकता है। इसमें भी तलाकशुदा जोड़ी चाहे तो भविष्य में फिर से शादी कर सकता है परन्तु इसमें 'निकाह हलाला' की प्रक्रिया का पालन करना होता है। तीसरा है 'तलाक–उल–बिद्दत'। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। इसमें पति केवल तीन बार एक साथ तलाक शब्द दोहरा देता है तो तुरन्त तलाक हो जाता है और ऐसा वह किसी भी संचार माध्यम से कर सकता है। इसमें समझौते का समय नही होता है और यदि दुबारा शादी करना चाहे तो 'निकाह हलाला' की प्रक्रिया से पत्नी को गुजरना पड़ता है। इस प्रक्रिया में यह है कि अगर पति ने तलाक दे दिया है तो वह उसी से दोबारा शादी तब तक नही कर सकता जब तक कि वह औरत किसी दूसरे पुरूष से शादी कर उससे तलाक न ले ले। इस्लाम में शादी से सम्बन्धित एक और प्रथा प्रचलित है वह है बहुविवाह। इसमें पति को हक होता है कि वह एक से ज्यादा निकाह पढ़ सकता है। वह चार निकाह कर सकता है। हालांकि इसमें पति को अपनी पहली पत्नी से दूसरे निकाह की अनुमति लेनी होती है।

तीन तलाक की प्रथा को सही ठहराते हुये आल इण्डिया मुस्लिम लॉ बोर्ड ने माना कि मुस्लिम समुदाय में निकाह समझौते के आधार पर होते हैं और महिलाये अपने हितों एवं गरिमा की रक्षा के लिये निकाहनामा में तलाक से सम्बन्धित विशेष खण्ड जुड़वा सकती है। इसीलिए सरकार व अदालत को इस मामले में दखल देने की आवश्यकता नही है। बोर्ड यह भी मानता है कि तीन तलाक ऐसे विवाह सम्बन्ध खत्म करने देने का आसान रास्ता है जिसका चलना अब सम्भव न रह गया हो। इस प्रकार यह एक अच्छी व्यवस्था है। बोर्ड का एक और तर्क यह है कि तीन तलाक एक 'प्राइवेट तरीका' है। तीन तलाक होने से अदालतों इत्यादि के

माध्यम से बात सार्वजनिक होने का डर नही होता है और महिलाओं की बदनामी नही होती इसीलिये ये अच्छी व्यवस्था है।

भारत सरकार की एक उच्चस्तरीय कमेटी ने वर्ष 2015 में तीन तलाक मामले पर अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में मुस्लिम महिलाओं की बदहाल स्थिति का हवाला देते हुए तीन तलाक और बहुविवाह पर रोक लगाने की बात कही गयी थी। राष्ट्रवादी मुस्लिम महिला संघ की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उच्चतम न्यायालय में तीन तलाक की लड़ाई लड़ने वाली अधिवक्ता फरहा फैज ने तीन तलाक को गैर कानूनी व महिला हितों के विरोधी बताया है। मुसलमान महिलाओं के लिए काम करने वाले संगठनों का मानना है कि न केवल तीन तलाक बल्कि 'निकाह हलाला' व बहु विर्वाह भी खत्म हो। रिसर्च स्कॉलर एवं मुस्लिम वीमेंस लीग की महासचिव नाइसा हसन का मानना हैं कि यदि कुरान में लड़कियों के खतना सहित मुताह, हलाला आदि का वर्णन नही है तो फिर ये कारनामें क्यों जारी है। वो मानती है कि समाज ने औरतों के साथ पक्षपाती व्यवहार किया है। औरत की आजादी से डरा–घबराया पितृसत्तात्मक समाज औरत को अपने नियन्त्रण से बाहर नही जाने देना चाहता और उस पर नियन्त्रण बनाये रखने के लिये वह धर्म का सहारा लेता है। औरत को डराने के लिये धर्म ही सबसे मजबूत और आसान जरिया है और जब सवाल औरत की यौनिकता, उसकी शारीरिक इच्छा का हो तो नियन्त्रण और अधिक बढ़ जाता है। वह कहती है कि मुस्लिम समाज को यह समझना होगा कि उसे अपने सारे अधिकारों की पैरवी धर्म के चश्में को पहन कर नही करनी चाहिए। मुस्लिम समुदाय तीन तलाक से भी अधिक अमानवीय प्रथाओं में जकड़ा हुआ है (जैसे खतना इत्यादि) उनके कारण मुस्लिम औरतों का दम घुट रहा है। संविधान के समानान्तर धर्मगुरूओं का जो संविधान देश में चल रहा है उसे निर्मूल किया जाना सबसे जरूरी काम है। अच्छा हो कि एक नये प्रगतिशील कानून का मसौदा तैयार किया जाये जो धर्मगन्थों के सन्दर्भ से नही अपितु औरतों को इंसाफ दिलाने से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ज्ञानंत सिंह ने तीन तलाक मामले में कहा कि जब समाज साथ न हो तो कानून का साथ जरूरी हो जाता है इसीलिये तीन तलाक पर सरकार को कानून बनाना चाहिये। सेवानिवृत्ति न्यायाधीश एस0आर0सिंह तीन तलाक विवाद पर समग्र कानून लाने की बात करते है। वह कहते है कि तलाक के आधार भी तय होने चाहिये जैसे हिन्दुओं में है। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी अपनी किताब 'स्ट्राइड टूवार्डस फ्रीडम' में कहा है कि ''आधुनिक व प्रगतिशील समाज में यदि कोई सामाजिक कुरीति किसी व्यक्ति को समानता व स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों से वंचित करती है तो समय रहते समाज को इस कुरीति से मुक्त करा लेनी चाहिए अन्यथा यह कुरीति एक प्रगतिशील समाज को जड़ समाज में परिवर्तित कर देगी''। इसके साथ–साथ सुप्रीम कोर्ट ने तीन तलाक को महिलाओं के अधिकारों के हनन करने के आरोप में अवैध घोषित कर दिया है। तीन तलाक व्यक्ति के जीवन के अधिकार से भी जुड़ा मामला है। यह प्रक्रिया मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा पत्र के विपरीत है। आज जब महिलाएँ पुरुषों के साथ–साथ प्रत्येक कार्यो में आगे चल रही है तब तीन तलाक द्वारा महिलाओं का शोषण किया जाना मानवाधिकारों के विपरीत है।

निष्कर्ष :–

इस तरह से यदि तीन तलाक का अध्ययन किया जाय तो जो बात साफ तौर पर उभरकर सामने आती है वह यह है कि 'तलाक–ए–बिद्दत' का आज के इस लोकतांत्रिक, समानता व स्वतन्त्रता के युग में अप्रासंगिक हो चुका है। तीन तलाक एक धार्मिक मामला न होकर लैंगिक भेदभाव का मामला है जो कि सामाजिक न्याय के खिलाफ है। आज जब पूरे विश्व में मानवाधिकारों की चर्चा होती है तो स्त्री व पुरूष दोनों को बराबर समझा जाता है जबकि इस्लाम में तलाक की सुविधा केवल पुरूषों को है, महिलाये तलाक नही ले

सकती। यद्यपि कि 'खुला' के तहत महिलायें तलाक ले सकती है पर इसमें भी वह केवल तलाक माँग सकती है, तलाक देना न देना पति पर निर्भर करता है। आज जब पूरे विश्व में स्त्री पुरूष समानता की बात चल रही है तब इस्लाम में तीन तलाक, खतना, बहुविवाह, व हलाला को मान्यता दिया जाता है जो कि एक अमानवीय मूल्य है। इन चीजों को धार्मिक मानना धर्म की भावना को ठेस पहुँचाता है क्योंकि धर्म का मूल ही होता है लोगों की भलाई करना उन्हे परेशान करना नही। धर्म तो मानव के आने के बाद आया। धर्म मानव की भलाई के लिये लाया गया था। किसी व्यक्ति, समुदाय को नीचा दिखाने के लिये धर्म का निर्माण नही होता है।

तीन तलाक व इसके साथ–साथ खतना, बहुविवाह, हलाला जैसी समस्याओं या रूढियों को दूर करके इस्लामिक समाज यदि चाहे तो अपने धर्म को गतिशील व शाश्वत बना सकता है क्योंकि ऐसी धारणा शेष धर्म के लोगों में इस्लाम के प्रति व्याप्त है। इस्लामिक समाज के प्रति पूरे विश्व में जो खराब मानसिकता व्याप्त है उसको दूर किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प का निर्णय हो या फिर चीन में मुस्लिमों के खिलाफ विस्थापन की कार्यवाही हो ये सारे कार्य केवल व केवल विश्व के अन्य धर्मो का इस्लाम के प्रति अविश्वसनीयता का ही नतीजा है। एक कहावत है कि अकेला चना भाड़ नही फोड़ सकता उसी तरह इस्लाम भी शेष विश्व से पूरी तरह से अलग होकर समाज का भला नही कर सकता। अतः इस्लाम को शाश्वत व प्रासंगिक बनाये रखने के लिये इस्लामिक समाज से ही व्यक्तिओं को आगे आकर इन बुराइयों को दूर करना होगा। इसके साथ–साथ तलाक जैसे मामलों में व्यक्ति व राज्य के मध्य बने सम्बन्धों में एक अन्य संस्था, को भी हटाना होगा क्योंकि ये संस्थाएँ धर्म को प्रभावित न करने के नाम पर राज्य एवं व्यक्ति के सीधे सम्बन्धों में बाधा बनकर उत्पन्न हुये है। ये सस्थायें राज्य व व्यक्ति के बीच की पारदर्शिता को खत्म कर रहे है। राज्य का निर्माण व्यक्ति के सुरक्षा के लिए ही हुआ था। ये संस्थाये बीच में आकर राज्य व व्यक्ति के सम्बन्धों को प्रभावित कर रहे है। ये संस्थायें अब रूढ़िवादी हो चली हैं और अपने स्वार्थ सिद्ध करने में लगी है। ये संस्थाये महिला अधिकारों के विपरीत कार्य कर रही है। अतः इनको व इनके प्रभाव को हटाना भी जरूरी हो गया है।

भारत में तीन तलाक जैसी प्रथा नारी सशक्तीकरण के विरूद्ध है। तीन तलाक धर्म से न जुड़ा होकर महिलाओं के अधिकारों के हनन से जुड़ा मामला है। यह प्रथा महिलाओं की सुरक्षा व महत्ता का ख्याल नही रखती है। इससे समाज में बुराईयाँ आती है। तीन तलाक की प्रथा बच्चों की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मामला है क्योकि तुरन्त तलाक के बाद बच्चों पर मानसिक दबाव पड़ता है जिससे बच्चे हीन भावना का शिकार होने लगते है। बच्चों से महिलायें भी प्रभावित होती है क्योकि महिलायें बच्चों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है। अतः अन्त में हम यह कह सकते है कि बिना महिलाओं के विकास के किसी धर्म, समुदाय, समाज परिवार किसी भी चीज का विकास नही हो सकता क्योंकि एक महिला पूरे परिवार को प्रभावित करती है। एक बार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा था कि–'' किसी समुदाय का विकास उसमें महिलाओं के विकास से आंका जाता है।'' अतः इस बात को ध्यान में रखते हुये यही कहा जाता सकता है कि महिलाओं के विकास से परिवार का विकास, परिवार के विकास से समाज का विकास, समाज के विकास से राष्ट्र का विकास और राष्ट्र के विकास से विश्व का विकास और विश्व के विकास से मानवता का विकास होता है।

सन्दर्भः

I. नारंग, ए.एस. भारतीय शासन एवं राजनीति–गीतांजली पब्लिसिंग हाऊस, नई दिल्ली 110049

II. गाबा, ओ0पी0ः भारतीय राजनीति विचारक–मयूर पेपर बैंक नोएडा 201301

III. अग्रवाल, एच0ओ0–मानवाधिकार सी0एल0 ए0 पब्लिकेशन्स इलाहाबाद।

IV. नसरीन, तस्लीमा : आर्टिकल : दैनिक जागरण।

V. मिश्र प्रशान्तः आर्टिकल. मात्र शक्ति को सलामः दैनिक जागरण।

VI. जोशी, नवीनः अब तीन तलाक की बाजीः प्रभात खबर।

VII. www.dristias.comhindi.triple-talaq

VIII. Https//.www. gsworldias.com.

IX. हसन नाइस : आर्टिकलः मजहबी तहखाने में बंद कुरीतियाँ, दैनिक जागरण।

X. शर्मा क्षमा : महिला संगठनों का दोहरा रवैया : दैनिक जागरण।

XI. www.hindkunj.com/2017/triple-talaq-in-india.html?=1

XII. https : him.wikipedioorg/wiki/ bLyke&esa&rykd

XIII. https://www.google.co.in/amp/www.thehindu.com/opinion/op-ed/a-very-flowed - low/article22288659.ece/amp/

XIV. https://www.google.co.in/amp/indianexpress.com/article/opinio/editorials/ the whole-veerdict-triple-taloq4808978/lite